तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टी.ए./4422/2004/उदयपुर तुलछा बनाम भीमा	नम्बर व तारीख

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
खण्डपीठ
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

आदेश

दिनांक 03.03.2022

विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश जैन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं। गत पेशी पर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे, जो तारीख पेशी नेाटिस कार्यालय से 22दिसम्बर, 2021 को जारी किये गये है लेकिन रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि तुलसीराम द्वारा दिनांक 24–5–2007 को अपील खारिज किये जाने का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार अपीलार्थी तुलसीराम व नारूलाल द्वारा अपील विड्रा करने का प्रार्थनापत्र दिनांक 17–9–2008 को पेश किया गया ओर इस प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया कि बउनवानी अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलान्ट अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। उसके बावजूद भी उक्त प्रार्थनापत्र पर आज तक कोई आदेश नहीं हुआ है। यहां तक कि आदेशिकाओं में इसका इन्द्राज भी नहीं हुआ है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि उक्त अपील विड्रो करने के प्रार्थनापत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, उसकी जानकारी के बिना ही प्रार्थनापत्र पेश किये हुए है। न्यायालय उचित आदेश पारित करें।

इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपील विड्रा किये जाने के प्रार्थनापत्र पर अपीलार्थी तुलसीराम व नारूलाल के फोटो लगे हुए है और मण्डल के समक्ष तुलसीराम स्वयं ने प्रार्थनापत्र पेश किया। इस बाबत् मण्डल की मोहर है और अपील विड्रा करने का शपथपत्र भी नोटेरी से सत्यापित है। मौजूदा अपील में तुलसीराम की ओर से एडवोकेट कन्हैयालाल चन्देला ने श्री मुकेश जैन को नियुक्त किया है। अर्थात् इस वकालतनामे पर तुलसीराम के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील विड्रो करने के प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं होने मात्र से प्रकरण के विड्रो किये जाने पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अतः अपीलान्ट द्वारा यह अपील नहीं चलाये जाने के कारण प्रार्थनापत्र दिनांक 17–9–2008 को स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विड्रो खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य